

2026/37

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

खेतवारों का नाम


क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा इंच/घर	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विंदि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	242	490/2 495/1 311 02	3.2498 1.4162 4.6660	बाबुरों धुजा मांगु जाति मुसलमान सा. आबूरोड खारदार रहन - राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा - आबूरोड	बाबुरों धुजा मांगु जाति मुसलमान सा. आबूरोड खारदार रहन - राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा - आबूरोड	


मुताबिक मिसल/जमाबंदी संपत्र 2078/4 मा. 1076/4 मा. के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।


साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रत्यारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का क्यारिया  
भू०अ०नि० सुरापाल  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का क्यारिया  
भू०अ०नि० सुरापाल  
राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबंदी में जमल किया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर

  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर

दिनांक 19/12/2011

दिनांक 19/12/2011

तहसिल आबूरोड  
जिला - सिरोही  
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड